न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

पीठासीन अधिकारी मुकुल शर्मा, आई.ए.एस.

पत्रावली संख्या : 26 / 2025 अन्तर्गत प्रतिभूति–हित का प्रर्वतन अधिनियम 2002

आवास फाइनेंसियर्स लिमिटेड, कॉरपोरेट एवं रजिस्टर्ड कार्यालय–201–202, द्वितीय तल, साउथ हेण्ड स्कवायर, मानसरोवर इण्डस्ट्रीयल एरिया, जयपुर– राजस्थान 302020 शाखा कार्यालय प्रथम तल, जय कॉम्पलेक्स, रिलायन्स पैट्रोल पम्प के सामने, रोड नम्बर 03, झुन्झुनू राजस्थान पिन 333001

–प्रार्थी (प्रतिभूति लेनदार)

बनाम

रतनलाल सोनी पुत्र गणपतलाल सोनी जाति सुनार, मृत जरिये विधिक वारिस

1. चम्पा देवी पत्नि रतन लाल सोनी
2. रामचन्द्र स्वर्णकार पुत्र रतन लाल सोनी
3. कृष्ण स्वर्णकार पुत्र रतन लाल सोनी
4. कृष्ण केयर ऑफ गणपत
5. विकास स्वर्णकार केयर ऑफ कृष्ण कुमार
6. भगवती देवी केयर ऑफ कृष्ण कुमार

   समस्त जाति सोनी निवासीगण वार्ड नं. 3 गोविन्दपुरा, तहसील नीमकाथाना, जिला सीकर 332714

7. विक्रम सिंह पुत्र पाबूदान सिंह तंवर जाति राजपूत निवासी वार्ड नं. 5 गोविन्दपुरा, तहसील नीमकाथाना जिला सीकर 332714

–अप्रार्थीगण (ऋणी / बंधककर्त्ता)

The application under section 14 of the securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002.

(मुकुल शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

आदेश

दिनांकः— 24 मार्च, 2025

1. प्रार्थी वित्तीय संस्था के अधिवक्ता **श्री गिरधारी लाल बागडी** द्वारा अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 7 क्रमशः **चम्पा देवी पत्नि रतन लाल सोनी, रामचन्द्र स्वर्णकार पुत्र रतन लाल सोनी, कृष्ण स्वर्णकार पुत्र रतन लाल सोनी, कृष्ण केयर ऑफ गणपत, कृष्ण केयर ऑफ गणपत, भगवती देवी केयर ऑफ कृष्ण कुमार** एवं **विक्रम सिंह पुत्र पाबूदान सिंह** की ओर से पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी के स्वामित्व की बंधक सम्पति **पट्टा संख्या 25, ग्राम गोविन्दपुरा ग्राम पंचायत, गोविन्दपुरा, पं.स. नीमकाथाना, तहसील नीमकाथाना, जिला सीकर** में स्थित है। जिसका **कुल क्षेत्रफल 360.19 वर्गमीटर** है। जिसकी चतुर्दिशाएं इस प्रकार हैं— पूरब दिशा में आम रास्ता, पश्चिम दिशा में जगदीश के मकान, उत्तर दिशा में रतनलाल, कृष्ण कुमार सोनी के मकान एवं दक्षिण दिशा में आम रास्ता है। उक्त सम्पत्ति को बंधक रखकर **कुल ₹7,00,000/— (अक्षरे रूपये सात लाख)** की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थीगण ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक **06.09.2024** को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किए गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बंधक सम्पति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।
2. पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गई। ऋणी/अप्रार्थीगण की ओर से वकील श्री शिशपाल सिंह तंवर उपस्थित आए लेकिन बकाया ऋण से संबंधित कोई दस्तावेज पेश नहीं किये है।
3. पत्रावली का भली भांति अवलोकन किया गया। प्रार्थी वित्तीय संस्था को भारत का राजपत्र में जारी वित्त मंत्रालय की अधिसूचना में सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत वित्तीय संस्थान के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट ★ सीकर (राज.) ★

(मुकुल शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

4. प्रकरण में प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण ऋणी को दिनांक **06.09.2024** को धारा 13(2) का रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया है जिसकी अप्रार्थीगण ऋणी की प्राप्ति रसीद (Acknowledgement) एवं समाचार पत्र की फोटो प्रति प्रार्थी वित्तीय संस्थान द्वारा प्रस्तुत की गई है।
5. अतः The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 7 क्रमशः **चम्पा देवी पत्नि रतन लाल सोनी, रामचन्द्र स्वर्णकार पुत्र रतन लाल सोनी, कृष्ण स्वर्णकार पुत्र रतन लाल सोनी, कृष्ण केयर ऑफ गणपत, कृष्ण केयर ऑफ गणपत, भगवती देवी केयर ऑफ कृष्ण कुमार** एवं **विक्रम सिंह पुत्र पाबूदान सिंह** की ओर से पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी के स्वामित्व की बंधक सम्पति **पट्टा संख्या 25, ग्राम गोविन्दपुरा ग्राम पंचायत, गोविन्दपुरा, पं.स. नीमकाथाना, तहसील नीमकाथाना, जिला सीकर** में स्थित है। जिसका **कुल क्षेत्रफल 360.19 वर्गमीटर** है। जिसकी चतुर्दिशाएं इस प्रकार हैं– पूरब दिशा में आम रास्ता, पश्चिम दिशा में जगदीश के मकान, उत्तर दिशा में रतनलाल, कृष्ण कुमार सोनी के मकान एवं दक्षिण दिशा में आम रास्ता स्थित है। उक्त बंधक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु प्रार्थी वित्तीय संस्था को पुलिस इमदाद जरिये पुलिस अधीक्षक सीकर द्वारा प्राप्त किये जाने के आदेश प्रकरण अथवा बंधक सम्पत्ति पर किसी दिगर न्यायालय का स्थगन नहीं होने की शर्त पर दिये जाते हैं। उक्त आदेश की पालना हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्तों व न्यायालय आदि का भुगतान नियमों में देय है, जो सम्बन्धित बैंक/वित्तीय संस्थान द्वारा वहन किया जावेगा।
6. आदेश आज दिनांक **24 मार्च, 2025** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट सीकर (राज.)

(मुकुल शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर
जिला मजिस्ट्रेट, सी...